उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

संख्या : 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026

लखनऊ : दिनाँक : 28 मार्च, 2026

<u>कार्यालय - ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिये संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान एवं राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के राज्य की समेकित निधि में से विनियोग के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2026 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2026) से प्राधिकृत हो चुके हैं । अतः वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अनुदानों / भारित विनियोगों को अब बजट का अन्तिम रूप समझा जाय ।

2- वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय / भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने तथा धनराशि को विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जाय -

(1) 'व्यय की नई मदों', अंशपूँजी विनियोजन तथा ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी एवं चालू योजनाओं / परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जायेंगी ।

(2) वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक पेंशनों पर होने वाले व्यय हेतु मानक मद "63-सामाजिक पेंशन" के अन्तर्गत व्यवस्था की गयी है । इस मानक मद के अन्तर्गत वृद्धावस्था / किसान पेंशन, निराश्रित महिलाओं एवं दिव्यांगजन के भरण-पोषण हेतु सहायता आदि के लिये आवश्यक धनराशि की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी तथा धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में अन्तरित की जायेगी ।

(3) पिछड़ा वर्ग तथा समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेंगी तथा धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित की जायेगी ।

(4) नयी योजना/सेवा के लिये वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने संबंधी जो भी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जाएं, उनमें अन्य वांछित विवरण के साथ-साथ संलग्नक - "ए" के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य उपलब्ध कराया जाय ।

(5) जिन मामलों में राज्य द्वारा अनुदानित संस्थाओं के वेतन व भत्ते के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर है, उनके लिए व्यय की मानक मद "31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ सुसंगत नियमों व स्थाई आदेशों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी । यदि संस्थाओं के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

पास विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी ।

(6) ऐसी राज सहायतित स्वायत्तशासी संस्थायें, जिनके वचनबद्ध व्ययों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वहन करने का दायित्व राज्य सरकार का है और उन्हें मानक मद "20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत सहायता दी जानी है, तो संस्थाओं के पास विगत वर्ष की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि के समायोजन करने के उपरान्त धनराशि निम्नवत् अवमुक्त की जायेगी -

(अ) रुपये 1.00 करोड़ तक बजट व्यवस्था वाले प्रकरणों में धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त की जायेगी ।

(ब) रुपये 1.00 करोड़ से अधिक तथा रुपये 4.00 करोड़ तक बजट व्यवस्था वाले प्रकरणों में धनराशि चार-चार माह के अन्तराल पर तीन किश्तों में अवमुक्त की जायेगी ।

(स) रुपये 4.00 करोड़ से अधिक बजट व्यवस्था वाले प्रकरणों में धनराशि तीन-तीन महीने के अन्तराल पर चार समान किश्तों में अवमुक्त की जायेगी ।

उक्तानुसार प्रथम किश्त प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी तथा प्रथम किश्त के बाद की किश्तें संस्था को अवमुक्त किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त वित्त विभाग की सहमति से अवमुक्त की जायेगी ।

परन्तु यदि किसी योजना विशेष हेतु धनराशि की व्यवस्था मानक मद "20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत की गयी है तो इस प्रकार व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति उस योजना के गाइडलाइन्स के अनुसार जारी की जायेगी ।

(7) यदि मानक मद "20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण की अदायगी हेतु सहायता अथवा मुख्य लेखाशीर्ष "2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ" के अन्तर्गत "नियोक्ता / सरकारी अंशदान / एन.पी.एस. से आच्छादित कर्मचारियों का अभिदाता अंशदान विलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज का भुगतान" के लिये की गयी है, उन प्रकरणों में वित्तीय स्वीकृतियाँ यथा आवश्यकता प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेंगी ।

(8) मानक मद "14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी ।

(9) स्वायत्तशासी संस्थायें जिन्हें प्रशासकीय विभाग द्वारा सहायता अनुदान/अंशपूंजी/ऋण स्वीकृत किया जाता है, के कोषागार से भुगतान हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग-I के प्रस्तर 209 के अनुसार स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत बिलों पर स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी अथवा प्राधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए । यदि स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी द्वारा बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर न किया जाना हो तो ऐसे में स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर किये जाने वाले सरकारी अधिकारी का स्पष्ट उल्लेख वित्तीय स्वीकृति में किया जाये ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(10) निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निम्नवत् दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जायेंगी -

(क) यदि नये निर्माण कार्य की लागत रुपये 5.00 करोड़ तक है, तो ऐसे मामलों में सम्पूर्ण धनराशि प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्य की गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी । इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि इस हेतु रुपये 5.00 करोड़ से अधिक लागत वाले नये निर्माण कार्य को एक से अधिक निर्माण कार्यों में विभक्त कर रुपये 5.00 करोड़ की सीमा के अन्तर्गत लाने का प्रयास न किया जाय ।

(ख) यदि नये निर्माण कार्य की प्रति कार्य लागत रुपये 5.00 करोड़ से अधिक है, तो वित्तीय स्वीकृतियाँ निम्न शर्तों के अधीन जारी की जायेंगी -

(i) नये निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति की प्रथम किश्त की धनराशि वित्त विभाग की सहमति से अवमुक्त की जायेगी । निर्माण कार्य की अनुवर्ती किश्तें प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्य की गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त जारी की जायेंगी । प्रशासकीय विभाग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो ।

(ii) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 5.00 करोड़ से अधिक तथा रुपये 25.00 करोड़ तक है, तो धनराशि दो समान किश्तों में स्वीकृत की जाये । कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये । कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने तथा कार्य की गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।

(iii) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 25.00 करोड़ से अधिक है, तो धनराशि तीन किश्तों में अवमुक्त की जाये जिसमें प्रथम किश्त, द्वितीय तथा तृतीय किश्त क्रमशः निर्माण लागत की 35 प्रतिशत, 35 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की होगी । प्रत्येक किश्त के उपरान्त कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय तथा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये । कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त पहली किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तीसरी किश्त, पहली किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं दूसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले तीन-तीन माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।

बकाया 05 प्रतिशत की धनराशि को अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त की जाये ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(ग) निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति जारी की जाय ।

(घ) रुपये 50 करोड़ या उससे कम लागत वाली भवन निर्माण की परियोजनाओं में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से शासन द्वारा अधिकृत राजकीय निर्माण एजेन्सियों में से किसी एक का कार्यदायी संस्था के रूप में चयन किया जाये ।

(ड.) रुपये 50 करोड़ से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2022/बी-2-218/दस-2022-एम-3/2019, दिनाँक 07 अक्टूबर, 2022, शासनादेश संख्या-29/2023/बी-2-673/दस-2023, दिनाँक 19 अक्टूबर, 2023, शासनादेश संख्या-3/2025/बी-2-43/दस-2025-एम-3/2019, दिनाँक 30 जनवरी, 2025 तथा शासनादेश संख्या-21/2025/बी-2-434/दस-2025-एम-3/2019, दिनाँक 02 सितम्बर, 2025 में दी गयी व्यवस्थानुसार ई.पी.सी. मोड में कराये जायें ।

(च) भवन निर्माण से इतर निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये । कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनाँक 26 अगस्त, 2014 के प्रावधानों के अनुसार निर्गत की जायेंगी ।

(छ) जिन निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कुर्सी क्षेत्रफल दरों / एलीवेशन एरिया दरों / मानकीकृत लागत के आधार पर निर्गत करते हुए प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है, उनमें द्वितीय एवं अगली किश्तें तभी अवमुक्त की जायें जब परियोजना का जनपद के शिड्यूल ऑफ रेट पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनाँक 26 अगस्त, 2014 के प्रस्तर-4 एवं 5 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाय ।

उक्त शासनादेश दिनाँक 26 अगस्त, 2014 में रुपये 5.00 करोड़ तक की योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण का अधिकार प्रशासकीय विभागों को दिया गया है । कतिपय प्रशासकीय विभाग, जिनमें तकनीकी विशेषज्ञ तैनात न होने के कारण योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण में कठिनाई आती है । अतः ऐसे प्रशासकीय विभागों में रुपये 5.00 करोड़ तक की योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण के लिये वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77, दिनाँक 19 अक्टूबर, 2015 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

पुनरीक्षित/प्रारम्भिक प्रायोजना के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन, औचित्य परीक्षण व अनुमोदन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/77, दिनाँक 22 मार्च, 2021 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।

(ज) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया / राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय ।

(11) प्रस्तर 2(10) में दिये गये निर्देश स्थानीय निकायों / पंचायती राज संस्थाओं के लिये मानक मद "35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि से पोषित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में भी समान रूप से लागू होंगे ।

(12) स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व विभागों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुआ / हो रहा है ।

(13) पी.एफ.एम.एस. डिवीजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No.1(27)PFMS/FCD/2020, दिनाँक 13 जुलाई, 2023 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के सम्बन्ध में SNA SPARSH (समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण) व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं । उक्त के क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2025/बी-1-156/दस-2024-25, दिनाँक 21 जनवरी, 2025 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं । अतः SNA SPARSH प्रणाली पर ऑनबोर्ड की गयी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही उक्त शासनादेश के अनुसार की जाय ।

उल्लेखनीय है कि SNA SPARSH योजना के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2025/बी-1-201/ दस-2025, दिनाँक 30 जनवरी, 2025, शासनादेश संख्या-8/2025/बी-1-640/दस-2025, दिनाँक 10 जुलाई, 2025, शासनादेश संख्या-9/2025/बी-1-672/दस-2025, दिनाँक 23 जुलाई, 2025, शासनादेश संख्या-12/2025/बी-1-1063/दस-2025, दिनाँक 26 सितम्बर, 2025, शासनादेश संख्या-14/2025/बी-1-1100/दस-2025, दिनाँक 14 अक्टूबर, 2025, शासनादेश संख्या-19/2025/बी-1-1622/दस-2025, दिनाँक 10 दिसम्बर, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/2026/बी-1-56/दस-2025, दिनाँक 02 जनवरी, 2026 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

यह भी उल्लेखनीय है कि SNA SPARSH प्रणाली पर ऑनबोर्ड की गयी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में केन्द्रांश की धनराशि सीधे योजना के लिये भारतीय रिजर्व बैंक में खुले खाते में प्राप्त होगी । अतः इन योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि वित्त विभाग से कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(14) ऐसी केन्द्र प्रायोजित योजनायें जो SNA SPARSH प्रणाली से आच्छादित नहीं हैं -

(क) ऐसी केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें (Centrally Sponsored Schemes), जिनमें अधिष्ठान व्यय (वेतन-भत्ते आदि) सन्निहित है तथा योजना के कार्यान्वयन एवं वित्त पोषण के लिए केन्द्र सरकार की वचनबद्धता है और विगत वर्षों में केन्द्रांश नियमित रूप से प्राप्त होता रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2026-2027 में भी केन्द्रांश प्राप्त होने की पूरी-पूरी सम्भावना है तो ऐसे मामलों में केन्द्रांश की प्रत्याशा में तीन माह (प्रथम त्रैमास) के वेतन-भत्ते आदि के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जा सकती है ।

(ख) ऐसी योजनाओं जिनमें कार्मिकों का वेतन भुगतान निहित है, के सम्बन्ध में पी.एफ.एम.एस. के एस.एन.ए. माड्यूल के माध्यम से कार्मिकों के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या-1(13)/PFMS/FCD/2020, दिनाँक 08 मार्च, 2022 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-12/2022/बी-1-357/दस-2022, दिनाँक 10 मई, 2022 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(ग) ऐसी समस्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि के उपरान्त, केवल प्राप्त केन्द्रांश के समतुल्य धनराशि तथा उसके संगत राज्यांश की धनराशि ही योजना के एस.एन.ए. एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जायेगी ।

(घ) ऐसी केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें जिनमें केन्द्रांश इस वित्तीय वर्ष अथवा पूर्व के वित्तीय वर्षों में प्राप्त हो चुका हो ऐसी स्थिति में प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि के उपरान्त उसके समतुल्य राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी ।

(ड.) ऐसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त करने के लिये प्रशासकीय विभागों द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर केन्द्रांश प्राप्त किया जायेगा ।

(15)(क) आय-व्ययक में विभागीय अनुदानों में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से वित्तीय वर्ष के दौरान कराये जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्य योजना (प्रत्येक कार्य की लागत तथा वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले अनुमानित व्यय सहित) सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से तैयार की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-3/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2002-ब.मै., दिनाँक 10 मार्च, 2021 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-6/2021/बी-3-दस-2021-100(4)/2002 ब.मै., दिनाँक 28 मई, 2021 के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा । उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा अगले वर्ष 15 अप्रैल तक माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के अन्तर्गत जारी सभी स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(ख) ऐसी योजनायें जिनके लिये बजट में प्रावधानित एकमुश्त धनराशि से प्रथम किश्त की धनराशि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी है, उनके लिये अगली किश्तें जारी करने के लिये पुनः उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी । परन्तु योजना की मूल लागत / योजना के प्रकार या प्रसार में परिवर्तन होने की दशा में वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के पूर्व यथावश्यक उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा ।

(ग) रुपये 200 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों पर माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है । ऐसे प्रस्तावों पर माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त पुन: उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी ।

(16) माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिन मामलों में भुगतान किया जाना है, ऐसे मामलों में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय लेकर भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायेंगी ।

3- उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखा जाना मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-08ए.जी./दस-2018-10(50)/2011, दिनाँक 14 मार्च, 2018 द्वारा राज्य की संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । डिपाजिट कार्यों के लिये प्राप्त धनराशियाँ सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष '8782' में जमा कर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनाँक 03 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाज़िट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) निर्गत करके व्यय की जायेंगी ।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनाँक 01 सितम्बर, 2018 में निहित व्यवस्थानुसार अनुदान संख्या-83 से सम्बन्धित पुनर्विनियोग वित्त विभाग की सहमति से किये जायेंगे ।

6- ज़िला योजनाओं की स्वीकृतियाँ सीधे संबंधित ज़िला स्तरीय अधिकारियों को जारी की जायं तथा उनकी प्रतियाँ संबंधित ज़िलाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को भी पृष्ठांकित की जायं । इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

7- रिसोर्स लिंक्ड योजनाओं (यथा - केन्द्र से वित्त पोषित, वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषित तथा वाह्य सहायतित) में प्रावधानित धनराशियों का अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोग न किया जाये ।

8- परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कॉस्ट ओवर-रन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/ 2017, दिनाँक 21 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

9- समस्त प्रशासकीय विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें । जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रुप से की जाय । वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल बजट प्रावधान के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ न जारी की जायं ।

10- विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय । यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय । ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय । धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

11- अनुदानों को विभागवार / विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्ष अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय में व्यय को सुसंगत लेखाशीर्ष / अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकन (बुकिंग) में त्रुटि की संभावना रहती है । अतः वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रुप से उल्लेख कर दिया जाय । भारित व्यय के लिए जारी की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों में मानक मद के आगे कोष्ठक में 'भारित' शब्द का उल्लेख अवश्य कर दिया जाय । बजट साहित्य में विस्तृत लेखाशीर्ष को चार अंकों में दर्शाया गया है जिसके प्रथम दो अंक उप शीर्ष को प्रदर्शित करते हैं । वित्तीय स्वीकृतियों / आवण्टन पत्रों में विस्तृत शीर्ष का उल्लेख चार अंकों में किया जाय परन्तु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों में विस्तृत शीर्ष के अन्तिम दो अंको (चार अंकों में से प्रथम दो अंक छोड़कर) को ही अंकित किया जाय । प्रशासकीय विभागों को इस सम्बन्ध में यदि किसी परामर्श की आवश्यकता हो, तो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 से परामर्श प्राप्त कर सही लेखाशीर्ष के अन्तर्गत ही स्वीकृतियाँ जारी की जायं ।

12- केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव का यह दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायें । वे कृपया यह भी सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

करेंगे कि भारत सरकार / अन्य संस्थाओं को आवश्यक अभिलेखों सहित प्रतिपूर्ति दावे समय से प्रस्तुत किये जायें ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई / विलम्ब न हो ।

13- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनाँक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रुप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

15- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, और सचिवालय के संबंधित प्रशासकीय विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये । अत: नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के साथ-साथ प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।

16- वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेश की प्रतिलिपि यथास्थिति, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज को भेजने के साथ-साथ वित्त विभाग के सम्बन्धित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को भी भेजना सुनिश्चित किया जाय । स्थानीय निकायों एवं शासन से अनुदानित संस्थाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेश निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को भी पृष्ठांकित किये जायें ।

17- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेशों को वेब साईट https://shasanadesh.up.gov.in पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाय ।

संलग्नक : यथोपरि ।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या : 4/2026/बी-1-812(1)/दस-2026-231/2026, तददिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज ।
3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
7 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
9 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
10 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
14 विभागीय आदेश पत्रावली ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure-A

INFORMATION TO BE SUBMITTED WITH PROPOSALS OF FINANCIAL SANCTION OF " NEW SERVICE / NEW EXPENDITURE "

Department ..... Financial Year .....

Grant No. and Name .....

(Amount in lakh rupees)

(A) Statement of Proposal

1. **Name of the Scheme :**
2. **Description of the Scheme and its Objects :**
3. **(i) Description of the manner in which the scheme is proposed to be implemented including the mention of the agency through which the Scheme will be executed :**

   (ii) Time schedule of the Programme and target date of completion :

(B) Financial Implications of the Proposal :

4. **Total expenditure involved (Recurring and non-recurring to be shown separately), its broad item-wise details and year-wise phasing : Share of establishment expenditure in the total recurring expenditure be indicated (in percentage). :**
5. **If the creation of posts is required, the number of posts (Statement of pay-scales and staffing norms be attached). :**
6. **If the expenditure is on works; the broad details thereof, their justification and basis of estimates. Year-wise estimated expenditure on maintenance subsequent to the completion of work or/ and subsequent to the expiry of warrantee period (if any) on equipment / machines.**
7. **Sources of Funds for the Scheme -**

   (i) Central Plan/ Centrally Sponsored Schemes -

   Financing pattern be clearly mentioned. Position of funds receivable/ received from the Centre be clarified.

   (ii)Schemes funded by various Financial Institutions - Details be given according to (i) above

   (iii)Others - Details of funds expected to be received for the scheme through dovetailing

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

by convergence with a view to optimum utilization of the resources.

(In case of the Scheme being a Central Scheme/ Centrally Sponsored Scheme or funded by a Financial Institution, the Central share or the share of the Financial Institution and the State share be given clearly)

8. Details of year-wise liabilities against the estimated cost of remaining works (including land-building, furnishings, machines, equipment, vehicle etc) of different programmes / projects / schemes be given in prescribed form. (Consolidated year-wise details can be given in Form B.M.-12A in respect of the works / schemes costing upto Rs. five crore, but individual works / schemes of more than Rs. five crore should be shown separately in Form B.M.-12B).

9. Classification of the proposed budget estimate according to Heads of Account-

(It should be clearly mentioned whether the proposed provision is for both, the Central share the share of the financial institution and the State share or for State share only)

Revenue Expenditure	**:**	**.....**
	:	**.....**
Total Revenue Expenditure	**:**	**.....**
Capital Expenditure	**:**	**.....**
	:	**.....**
Total Capital Expenditure	**:**	**.....**

12. Other Related Details

(C) Supplementary information, if any

(D) Points on which sanction are sought

Name of Section .....

File No. ..... **Signature .....**

Date ..... **Additional Chief Secretary /**

Principal Secretary/ Secretary of the

Administrative Department

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in